



दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

सप्तम प्रतिवेदन

॥ 23. 3. 1995 को प्रस्तुत किया गया ॥

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SEVENTH REPORT

(PRESENTED ON 23-3-1995)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

सातवां प्रतिवेदन

§ 23.3. 1995 को प्रस्तुत §

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोबिल	सभापति
2.	श्री आलोक कुमार, विधायक	सदस्य
3.	श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी, विधायक	सदस्य
4.	डा. हर्षवर्धन, विधायक	सदस्य
5.	श्री एम. एत. साधी, विधायक	सदस्य
6.	श्री राम भज, विधायक	सदस्य
7.	कु० पूर्णिमा सेठी, विधायक	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एत. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री पी. टी. अग्रवाल	उप सचिव
4.	श्री एत. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

प्रतिवेदन

1. 19.12.1994 को प्रस्तुत किये गये छठे प्रतिवेदन के पश्चात् समिति की क्रमशः 28.2.95, 6.3.95 और 13.3.95 को तीन बैठकें सम्पन्न हुई ।
2. 13.3.1995 को सम्पन्न अपनी बैठक में समिति ने निम्नलिखित

मदों के तमक्ष इंगित तमब को अस्थाबी तौर पर आबंटित करने का निर्णय लिया था :-

तमय का आबंटन

॥क॥ उषराज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	तमब संभवतया - 8 घंटे दिनांक : 21, 22, 23 एवं 27. 3. 1995.
॥ख॥ नियम 52 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा	28 एवं 29 मार्च, 1995
॥ग॥ बजट का प्रस्तुतिकरण और लेखा अनुदान व मददान	30 मार्च, 1995

समिति ने 6. 3. 1995 को सम्पन्न अपनी बैठक में नियम 259 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के रूप में उठाये जाने वाले मामलों से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार किया था । इस नियम के अंतर्गत मौजूदा प्रथा के अनुसार प्रतिदिन 10 उल्लेखों को उठाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रत्येक सदस्य को सप्ताह में केवल एक मामला उठाने की अनुमति दी जायेगी । समिति को सूचित किया गया कि लोक सभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इस प्रक्रिया का लक्ष्य इस सदन के प्रत्येक सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक मुद्दे को कम से कम सप्ताह में एक बार उठाने में सुविधा प्रदान करना है । यह भी सूचित किया गया कि अप्रार्जित सूचनाएं प्राप्त होने की स्थिति में किसी सदस्य को सप्ताह के दौरान दूसरे मामले को उठाने का अवसर मिल सकता है ।

4. स्वास्थ्य एवं विधावी मामलों के मंत्री डा. हर्षवर्धन ने समिति को 13.3.1995 को सम्पन्न समिति की बैठक में अस्थायी रूप से सूचित किया था कि सरकार बजट सत्र के दौरान निम्नलिखित तीन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत करेगी :-

- ॥क॥ दिल्ली राज्य चिकित्सा परिषद विधेयक
- ॥ख॥ दिल्ली कृत्रिम गर्भाधान विधेयक
- ॥ग॥ धूमपान -निषेध विधेयक

5. समिति ने डा. हर्षवर्धन को अपनी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया तथा उनकी अनुमति में श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

चरती लाल गोबिल
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति

DELHI VIDHAN SABHA

Report of Business Advisory Committee

(7th Report presented on 23.3.1995)

Constitution of Committee

1.	Shri Charti Lal Goel	Chairman
2.	Shri Alok Kumar, MLA	Member
3.	Shri R.S. Bidhuri, MLA	Member
4.	Dr. Harsh Vardhan, MLA	Member
5.	Shri M.S. Saathi, MLA	Member
6.	Shri Ram Bhaj, MLA,	Member
7.	Km. Purnima Sethi, MLA	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Deputy Secretary
4.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

Report

1. Since the presentation of the Sixth Report on 19.12.94, three meetings of the Committee have been held on 28.2.1995, 6.3.1995 and 13.3.1995 respectively.

2. The Committee in its meeting held on 13.3.1995 decided to tentatively allot the following time to the items indicated against each:-

Allotment of Time

a)	Motion of thanks on L.G.'s Address	Time/Likely dates 8 hrs./ 21, 22, 23 and 27.3.1995.
b)	Short Duration discussion under Rule 52	28/29 March, 1995.
c)	Presentation of Budget and seeking of Vote on Account.	30 March 1995

The Committee in its meeting held on 6.3.1995, considered the question of making Special Mention under Rule 259 under which, according to the existing practice, only 10 mentions each day are being allowed with the condition that each member shall be permitted to raise an issue once a week only. The Committee was apprised that the same procedure was being followed in Lok Sabha and this procedure was aimed at facilitating each member of this House to raise one constituency-related issue at least once a week. It was also informed that in the event of non-receipt of sufficient notices, a Member could get another chance to raise

contd...2..

another issue during the week.

4. The Minister of Health and Legislative Affairs, Dr. Harsh vardhan had informed the Committee in its meeting held on 13.3.1995 that tentatively, the Government would introduce the following 3 Bills during the Budget Session:

- a) Delhi State Medical Council Bill.
- b) Delhi Artificial Insemination Bill.
- c) Anti-Smoking Bill.

5. The Committee authorised Dr. Harsh Vardhan to present the report on its behalf and in his absence Shri R.S. Bidhuri would do the same.

CHARTI LAL GOEL
CHAIRMAN,
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE